उत्तर प्रदेश में शिक्षा के रूप और विकास के संदर्भ में शिक्षा शास्त्र का अध्ययन

(उत्तरप्रदेश के कानपुर जनपद के सन्दर्भ में)

कमलेश कुमार पाल
पर्यवेक्षक का नाम- डॉ.मनीषा पांडे
शिक्षा विभाग
मालवांचल विश्वविद्यालय, इंदौर

संक्षेप

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तर पर विकसित हो रहा है। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासतर कानपुर जनपद के सन्दर्भ में। कानपुर जनपद उत्तर प्रदेश के मध्यभूमि में स्थित है और यहाँ के शिक्षा संस्थान अद्भुत हैं। यहाँ के विश्वविद्यालय और विशेषज्ञता केंद्र छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे साधना के अवसर प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं जैसे कि शिक्षा में तकनीकी उन्नति, छात्रवृत्ति योजनाएं, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार करने में मदद करता है, खासकर गुरुकुल पद्धति का अध्ययन शिक्षा के नए मॉडल्स के विकसन में मदद कर सकता है। कानपुर जनपद में शिक्षा के रूप और विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का महत्व है, और यह राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में नए मानकों और सुधारों की ओर अग्रसर करने में मदद कर सकता है।

परिचय

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला राज्य है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में नये दिशानिर्देश और विकास के संदर्भ में शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यह अध्ययन खासकर कानपुर जनपद के संदर्भ में विचार किया जा रहा है, क्योंकि कानपुर एक प्रमुख शिक्षा हब है, जो उत्तर प्रदेश के मध्यभूमि में स्थित है।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा हमारे समाज के विकास का मूल आधार है। इसके द्वारा शिक्षक समाज में ज्ञान, संवाद, और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करते हैं।

कानपुर जनपद उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्थानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ पर विश्वविद्यालय, कॉलेज, और स्कूल हैं जो छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम साधना के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से कानपुर के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में नए दिशानिर्देशों और स्वाधीनता के साथ नवाचार करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि तकनीकी शिक्षा के प्रसार, छात्रवृत्ति योजनाएं, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। इसके फलस्वरूप, कानपुर जनपद के शिक्षा संस्थानों को छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल रही है, और शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से यह विकास की दिशा में और भी मजबूत हो रहा है।

अध्ययन का उद्देष्य

संबंधित साहित्य किसी भी अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अनुसंधानकर्ता के पास अपने अनुसंधान के संदर्भ में साहित्य का ज्ञान नहीं हो, तो उसका अनुसंधान कार्य प्रभावशून्य और महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी अनुसंधान कार्य की शुरुआत से पहले उसके संदर्भ में साहित्य की परियाप्त अध्ययन की आवश्यकता होती है। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से पहले ही पहले अनुसंधान कार्य की गतिविधियों और महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चलता है। साथ ही, उस अनुसंधान के लिए प्रयुक्त तरीकों, उपकरणों और डेटा के विश्लेषण की जानकारी भी मिलती है। संबंधित साहित्य के अध्ययन से उस समस्या के परिभाषण, उद्देश्य, लक्ष्य, आवश्यकता, और सीमाएँ स्पष्ट होती हैं, जिससे अनुसंधानकर्ता को उस समस्या की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

इस प्रकार, संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से अनुसंधानकर्ता को उस विशेष समस्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और वह उसके उपयोगिता और प्रभावकारिता को निर्धारित कर सकता है। संबंधित साहित्य के अध्ययन से समस्या के विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रासंगिक पहलुओं की स्पष्ट समझ होती है, जो अनुसंधान के प्रगतिशील निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

पूर्वकाल में किए गए कार्यों के आँकड़ों का सम्बंधित साहित्य का अध्ययन वर्तमान समस्याओं के चयन और विश्लेषण में उपयोगी होता है। इसके साथ ही, यह शोधकर्ता के समय की बचत भी करता है। यह उसकी अनुसंधान में उपयोगी जानकारियाँ प्रदान करता है और उसके अनुसंधान की मेथडों को सुधारने में मदद करता है, जिससे शोधकर्ता समय और श्रम दोनों की बचत कर सकता है। इसके साथ ही,

यह उसके अनुसंधान को सावधानीपूर्वक सीमित करने में भी मदद करता है। यदि किसी शोधकर्ता को किसी विशेष क्षेत्र में उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वह पहले पुस्तकालय और अन्य साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, ताकि वह उपयुक्त और प्रभावशील शोध कार्य कर सके। इसके बाद ही वह विशिष्ट ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है और प्रभावी शोध कर सकता है।

अध्ययन का महत्व

प्रत्येक शोधकर्ता को यह भली प्रकार से ज्ञात होना चाहिए कि अन्वेषण के क्षेत्र में कौन-कौन से स्त्रोत प्राप्त हो तथा उनमें से वह किन-किन स्त्रोतों का उपयोग कर सकता है तथा उन्हें कहाँ और कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार की पुस्तकों ज्ञान कोष, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं अभिलेखों आदि से है जिसके अध्ययन से शोधकर्ता को अपने समस्या के चुनाव, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा आदि तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सम्बंधित साहित्य के अध्ययन के बिना, शोधकर्ता का कार्य एक विलक्षणहीन प्रक्रिया के समान होता है। बिना इसके, शोधकर्ता को न केवल उसके क्षेत्र में कितने कार्य हुए हैं, बल्कि उनके किस तरीके से किए गए और उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं, यह भी पता नहीं चल सकता। इसके अभाव में, शोधकर्ता को समस्या की पहचान नहीं कर सकती और उसकी मार्गदर्शिका तैयार करने में भी असमर्थ रहता है। इस प्रकार, साहित्य के अध्ययन शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सांस्कृतिक चेतना

किसी देश की शिक्षा प्रणाली को हम तब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं, जबकि देश के कर्णधारों का यह प्रयास हो कि शिक्षा के माध्यम से निवासियों में अपने पूर्वजों के महान कार्यों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया जाए और उनके द्वारा विकसित संस्कृति को अपनाने की चेष्टा की जाए। हम जानते ही है कि संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्यों की ओर संकेत किया जाता हैं– (1) प्राचीन संस्कृति को संजोये रखना, (2) आगामी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से परिचित करना तथा (3) अपनी संस्कृति के विकास में योगदान करना। कहना न होगा कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सांस्कृतिक चेतनता का विकास भी होना चाहिए।

सांख्यकीय गणना—समायोजन प्रपत्र पर प्राप्त अंकों की सारणी के आधार पर आवृत्ति तालिका बनाकर मध्यमान और मानक विचलन ँ(ण्क्) का मान ज्ञात करके क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई है। इस प्रकार .05 स्तर पर सार्थकता की जांच की गयी है। जिसके आधार पर मनोवृत्ति के परिणाम या निष्कर्ष निकाल गये है।

सार्थक अन्तर का स्पष्ट करते हुये गैरेट महोदय का कहना है कि—

''वह अन्तर सार्थक कहलाता है जिसके सम्बन्ध में अत्यधिक प्रसाम्भाव्यता इस तिथि की हो कि उसके घटित होने का कारण संयोग नहीं हो अथवा वह किसी क्षणिक कारण व घटना चक्र पर आधारित नहीं है बल्कि जिसके कारण एक समष्टि के दो प्रतिदर्शों में वास्तविक अन्तर देखने में आता है।

अर्थात् सार्थक अन्तर वह है जो संयोग के आधार पर नहीं होता है बल्कि दो प्रतिदर्शों का वास्तविक अन्तर ही सार्थक होता है जो कि .05 या स्तर पर सार्थक होता है।

प्रस्तुत लघु शोध के परिणामों को प्राप्त करने में जिन—जिन सांख्यकीय सूत्रों का प्रयोग किया गया है वह निम्नलिखित है।

1. मध्यमान (ड) निकालने में प्रयुक्त किया गया सूत्र $M = A.M.\frac{\Sigma fd}{N} \times C.I.$

जहाँ,

M = अभिवृत्ति का मध्यमान

f = आवृत्ति

A.M. = कल्पित मध्यमान

fd = आवृत्ति और विचलन के गुणनफलों का योग

N = आवृत्ति का कुल योग या अभिभावकों की कुल संख्या

C.I. = वर्गान्तर का आकार

d = कल्पित मध्यमान वाले वर्गान्तर से अन्य वर्गान्तरों काविचलन।

2. मानक विचलन S.D.निकालने में प्रयुक्त किया गया सूत्र—

$$S.S. = C.I. \times \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fd}{N}\right)^2}$$

जहाँ,

S.D.. = मानक विचलन

C.I. = वर्गान्तर का आकार

N = अभिभावकों की कुल संख्या

fd. = आवृत्ति और विचलन के गुणनफलों का योग

f. = आवृत्ति

d = कतिपय माध्य वाले वर्गान्तर से अन्य वर्गोन्तरों का विचलन

3. क्रान्तिक अनुपात (ब्ण्त्) मान निकालने में प्रयुक्त सूत्र–

$$C.R. = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}}$$

जहाँ,

C.R.. = क्रान्तिक अनुपात

M_1 = पहले वर्ग का मध्यमान

M_2 = दूसरे वर्ग का मध्यमान

N_1 = पहले वर्ग के अभिभावकों की संख्या

N_2 = दूसरे वर्ग के अभिभावकों की संख्या

बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित और अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति

सारणी संख्या 1

अभिभावकों की शिक्षा की प्रकृति	छात्रों का लिंग	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
शिक्षित	दोनो प्रकार	73.09	3.53	2.53 0.05 स्तर पर अंतर सार्थक है।
अशिक्षित	दोनो प्रकार	71.62	4.65	

उपरोक्त तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का मध्यमान 73.09 है। तथा अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का मध्यमान 71. 62 है। जो शिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति के मध्यमान से काफी कम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षित अभिभावक बालिकाओं के प्रति अधिक जागरूक है। दोनों ही वर्गों के अभिभावकों के क्रान्तिक अनुपात का देखने से पता चलता है कि दोनों अभिभावकों का क्रान्तिक 2.53 है। जो .05 स्तर के 1.96 से बहुत अधिक है अर्थात् .05 स्तर पर अन्तर सार्थक है।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि–

1. ग्रामीण शिक्षित अभिभावक बालिका की शिक्षा पर अधिक विश्वास करते है।
2. ग्रामीण अशिक्षित अभिभावक बालिका की शिक्षा पर कम विश्वास करते है।

बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति तालिका

सारणी संख्या 2

अभिभावकों की शिक्षा की प्रकृति	छात्रों का लिंग	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
शिक्षित	बालिकायें	73.24	3.38	.05 स्तर पर अन्तर सार्थक है

अशिक्षित	बालिकायें	71.50	4.46	

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का मध्यमान 73.24 है। तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का मध्यमान 71.50 है। जो कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण शिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का मध्यमान बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति के मध्यमान से काफी अधिक है।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षित अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा का अशिक्षित अभिभावकों की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व देते है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित तथा अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का क्रान्तिक अनुपात 2.20 है जो कि 0.05 स्तर के मान 1.96 से काफी ज्यादा है अतः शिक्षित व अशिक्षित अभिभावकों दोनों की मनोवृत्तियों में अन्तर है वह वास्तविक है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है अर्थात कता जा सकता है कि शिक्षित अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता प्रतिदर्शित करते है।

इस प्रकार परिकल्पना नं0 4 ''ग्रामीण शिक्षित व अशिक्षित अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।'' अस्वीकृति प्रदान की जाती है।

बालिका की शिक्षा के प्रति शिक्षित और अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति

सारणी संख्या 4.5

अभिभावकों की शिक्षा की प्रकृति	छात्रों का लिंग	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
शिक्षित	बालिका	72.94	3.67	1.39 0.05 स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं है।
अशिक्षित	बालिका	71.74	4.84	

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि बालिका की शिक्षा के प्रति शिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का मध्यमान 72.94 है। बालिका की शिक्षा के प्रति अशिक्षित अभिभावको की मनोवृत्ति का मध्यमान 71.74 हे। जो बालिका की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का मध्यमान बालिकाओं की

शिक्षा के प्रति अशिक्षित अभिभावकों के मध्यमान से अधिक है। बालकों की शिक्षा के प्रति शिक्षित अभिभावक अशिक्षित अभिभावकों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं।

बालिका की शिक्षा के प्रति शिक्षित अशिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति का क्रान्तिक अनुपात 1.39 है जो 0.05 स्तर के मान 1.96 से काफी कम है। 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है अर्थात् यह अन्तर वास्तविक नहीं है बल्कि संयोग से आ गया है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षित तथा अशिक्षित अभिभावक बालिका की शिक्षा के प्रति समान मनोवृन्ति रखते है।

इस तरह परिकल्पना नं0 5 ग्रामीण शिक्षित व अशिक्षित अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है। स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

किसी भी प्रजातन्त्र की सफलता का अनुमान वहाँ के शिक्षित नागरिकों के औसत से लगाया जा सकता है। भारत जैसा विशाल प्रजातांत्रिक देश जहाँ की लगभग 80 · जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षा के कारण ग्रामीण समाज में अनेक सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों एवं धार्मिक संकीर्णतायें व्याप्त है। स्वतन्त्रता के 50 वर्षों बाद भी ग्रामीण अभिभावकों की मनोवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का सवाल है आज भी ग्रामीण अभिभावकों की मनोवृत्ति बालिकाओं के पक्ष में नहीं है। उनके दृष्टिकोण बालिका को पढ़ाना आवश्यक नहीं है। बालिकाओं को केवल घरेलू कार्यों में ही निपुण होना चाहिए क्योंकि विवाह के बाद लड़की घर-गृहस्थी सम्भालती है। यदि लड़कियाँ अधिक पढ़ लिख जाती है तो वे घरेलू कार्यों में रूचि नहीं लेती वे प्रायः नौकरी करना ही पसंद करती है। इसलिए लड़कियों के लिये शिक्षा बेकार है। इस प्रकार शोधकत्र्री ने ग्रामीण अभिभावकों की मनोवृत्ति का पता लगाने के लिये प्रस्तुत शोध का चयन किया है।

वर्तमान शोध के तीसरे अध्याय में अनुसंधान के विषय में विस्तृत विवरण दिया गया है तथा परिकल्पना का निर्माण किया गया। साथ में यह भी बताया गया है कि किसी शेष कार्य के लिए परिकल्पना क्यों आवश्यक है। परिकल्पना के बिना न तो प्रायोगिक कार्य सम्भव है, और न ही कोई वैज्ञानिक ढंग का अनुसंधान ही सम्भव है, अर्थात् परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन किया है। वर्तमान

शोध कार्य के लिये पांच शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही यह भी बताया किया कि शून्य परिकल्पना क्या है और इसका प्रायोगिक अनुसंधान में क्या महत्व है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं की पूर्ति के लिये पाँच गांवों को लाटरी विधि से चुना गया। उस पांच गांवों से 100 35-50 वर्ष की आयु के अभिभावकों को न्यादर्श के लिये चुना गया जिसमें 50 शिक्षित अभिभावकों (महिला व पुरूष) तथा 50 अशिक्षित अभिभावकों (महिला व पुरूष) को चुना गया।

उपकरण के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ती ने गाइड व अन्य सहपाटियों के सहयोग से अभिवृत्ति प्रपत्र का प्रयोग किया है। जिसमें 40 प्रश्न है। बालिकाओं के सम्बन्ध में पूछे गये है इस प्रकार प्रश्नों की कुल संख्या 80 है। 40 प्रश्नों में 9 घरेलू, 9 व्यक्तिगत, 11 व्यावहारिक तथा 11 प्रश्न सामाजिक है। प्रधानाचार्य, गाइड व सहपाठियों के सहयोग से अंक निर्धारण किया गया जिसके पक्ष में पूछे गये प्रश्न के उत्तर हेतु 2 नं0 तथा विपक्ष के उत्तर में 0 नं0 रखे गये इस प्रकार कुल निम्नतम अंकों की संख्या 0 तथा अधिकतम अंकों की संख्या 80 निर्धारित की गयी। बालिका के प्रति अधिकतम अंक 80 प्रदान किये गये थे। सभी क्षेत्रों के पूर्ण अंकों की सारणी शोध ग्रन्थ के परिशिष्ट में अंकित है।

चारों क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण अशिक्षित व शिक्षित दोनों प्रकार के अभिभावकों की मनोवृतित जानने का प्रयास किया गया। शिक्षित व अशिक्षित अभिभावकों में महिला एवं पुरूष दोनों प्रकार के अभिभावकों की मनोवृत्ति को जानने का प्रयास किया गया, जिसमें अधिकांश परिकल्पनाओं में सार्थक अन्तर देखने को नहीं मिला है। अर्थात् अधिकांश क्षेत्रों में परिकल्पना की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित अभिभावकों की मनोवृत्ति अशिक्षित अभिभावकों से अधिक बेहतर है।

संदर्भ

कैफ़ेरेला, आर.एस., और ओल्सन, एस.के. (1993)। महिलाओं का मनोसामाजिक विकास: साहित्य की एक आलोचनात्मक समीक्षा। प्रौढ़ शिक्षा त्रैमासिक, 43(3), 125-151।

अनटरहल्टर, ई. (2005). खंडित ढाँचे? महिलाओं, लिंग, शिक्षा और विकास पर शोध। पहुंच से परे: शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए नीति और व्यवहार में बदलाव, 15-35।

जयवीरा, एस. (1997)। एशिया में महिलाएँ, शिक्षा और सशक्तिकरण। लिंग और शिक्षा, 9(4), 411-424।

गिल, के., पांडे, आर., और मल्होत्रा, ए. (2007)। महिलाएं विकास के लिए कार्य करती हैं। द लांसेट, 370(9595), 1347-1357।

भट्ट, आर.ए. (2015)। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 6(10), 188-191।

आर्यन, के. (2016)। महिला शिक्षा में तेजी. 21वीं सदी के ईरान में महिलाएँ, शक्ति और राजनीति में (पृ. 35-52)। रूटलेज।

मैममेन, के., और पैक्ससन, सी. (2000)। महिलाओं का कार्य और आर्थिक विकास. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, 14(4), 141-164।

अरवोन, एस.एफ. (2017)। मानव बनना: महिलाओं के मानवाधिकारों की उत्पत्ति और विकास। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समानता और गैर-भेदभाव में (पीपी. 215-268)। रूटलेज।